भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *377
दिनांक 19.08.2025 को उत्तरार्थ

असम में पंचायतों के लिए अवसंरचना

†*377. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम में पंचायतों के लिए सड़क, दूरसंचार और इंटरनेट अवसंरचना में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है:

(ख) सरकार पंचायतों को बेहतर शासन के लिए किस प्रकार आधुनिक प्रौद्योगिकी सुलभ करा रही है, और

(ग) क्या सरकार ने इस पहल के लिए कोई विशेष निधि आवंटित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) सदन के पटल पर एक विवरण रखा गया है

19.08.2025 को उत्तरित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 377 के भाग (क) से (ग) के संबंध में विवरण

(क) ग्रामीण सड़कें, जो राज्य का विषय है, को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सहायता प्रदान की जाती है ताकि पात्र असम्बद्ध बस्तियों को सभी मौसम में कनैक्टिविटी प्रदान की जा सके और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के अधिकार क्षेत्र में आता है।ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीएमजीएसवाई ने पीएमजीएसवाई-II और III के माध्यम से 1.25 लाख किलोमीटर प्रमुख ग्रामीण मार्गों के उन्नयन और समेकन का कार्य किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, असम में दिनांक 12.08.2025 तक ₹22,349.39 करोड़ की लागत से 9,269 सड़क कार्य (32,911 किलोमीटर) तथा 1,466 पुलों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 9,124 कार्य (32,035 किलोमीटर) तथा 1,423 पुलों का निर्माण ₹22,940 करोड़ की व्यय राशि पर पूर्ण किया जा चुका है।
सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में हाईस्पीड इंटरनेट, डेटा और मोबाइल सेवाओं का विस्तार लक्षित परियोजनाओं जैसे कि पूर्वोत्तर और द्वीप समूहों के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजनाएँ, वामपंथी उग्रवाद (LWE) क्षेत्र, आकांक्षी जिले, सीमावर्ती गाँव और 4जी संतृप्ति योजना के माध्यम से किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 4जी सेवाओं से वंचित गांवों में 4जी सेवा प्रदान करने हेतु ₹26,316 करोड़ की चल रही परियोजना के अंतर्गत, जून 2025 तक देशभर में 21,748 मोबाइल टावर (जिसमें असम के 931 टावर शामिल हैं) चालू किए जा चुके हैं।

ग्राम पंचायतों (GPs) को इंटरनेट अवसंरचना प्रदान करना दूरसंचार विभाग के अध्यधीन है, जो सभी ग्राम पंचायतें और पारंपरिक स्थानीय निकायों (TLBs) को हाईस्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारतनेट को फेजों में लागू कर रहा है। भारतनेट डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिनाक 12.08.2025 तक, असम में 2,657 ग्राम पंचायतों/पारंपरिक स्थानीय निकायों में से 1,634 सेवा के लिए तैयार हैं। दिनांक 04.08.2023 को स्वीकृत संशोधित भारतनेट कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा नेटवर्क को उन्नत बनाना, शेष ग्राम पंचायतों को कवर करना है और इसका प्रबंधन बीएसएनएल द्वारा किया जाता है। ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर इंटरफेस एफटीटीएच कनेक्शनों के लिए आवेदन हेतु सेवा- तैयार क्षेत्रों में पंचायतों को सक्षम बनाता है।

(ख) मंत्रालय आरजीएसए के अंतर्गत ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, कार्यकुशलता और शासन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ई-पंचायत एमएमपी के एक भाग के रूप में विकसित की गई ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन ने पंचायत स्तर पर डिजिटल नियोजन, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान को सुगम बनाया है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-ग्रामस्वराज का एकीकरण विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाता है, जिससे निर्बाध निधि प्रवाह सुनिश्चित होती है और इसमें देरी कम होती है।

वित्त वर्ष 2024-25 में, देश भर में 2.60 लाख से अधिक पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई) ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस पर शामिल हो गई। 2.51 लाख से अधिक पंचायती राज संस्थाओं ने ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से ₹61,000 करोड़ से अधिक राशि हस्तांतरित की। वर्ष 2024-25 के दौरान 15 वें वित्त आयोग के लिए ई-ग्रामस्वराज के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

पंचायत खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए, मंत्रालय ने ई-ग्रामस्वराज को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के साथ एकीकृत किया है। यह एकीकरण पंचायतों को ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म के जरिए जीईएम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने की अनुमति देता है, जिससे "वोकल फॉर लोकल" पहल को बढ़ावा मिलता है। मंत्रालय द्वारा विकसित अन्य एप्लिकेशन जैसे मेरी पंचायत, ने पंचायत नियोजन, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी को आम जनता के लिए सुलभ बनाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार, पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

इसके अलावा, पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने हेतु, केंद्रीय वित्त आयोग की निधियों के उपयोग से संबंधित पंचायत खातों की ऑनलाइन लेखापरीक्षा करने के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' एप्लिकेशन विकसित किया गया है। लेखापरीक्षा वर्ष 2023-24 के लिए, 2.51 लाख लेखापरीक्षा योजनाएँ बनाई गई हैं और 2.44 लाख लेखापरीक्षा रिपोर्ट पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तैयार की गई हैं।

(ग) ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत, ई-पंचायत एप्लिकेशन के रखरखाव हेतु केंद्रीय स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एनआईसीएसआई) को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना पर वर्षवार वार्षिक व्यय का विवरण निम्नानुसार है:.

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना पर वार्षिक व्यय का विवरण

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	वास्तविक व्यय
2020-21	17.79
2021-22	11.71
2022-23	15
2023-24	16.03
2024-25	13.47
2025-26	5.00 (12.08.2025 तक)

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 से संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना लागू की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण देकर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सक्षम बनाना है ताकि वे नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताओं का विकास कर सकें और ग्राम पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बना सकें। प्रशिक्षण के अलावा, इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीमित पैमाने पर ग्राम पंचायत भवन में कंप्यूटर और सार्वजनिक सेवा केंद्रों (सीएससी) के सह-स्थापन जैसी ई-सक्षम पंचायतों के विकास में सहायता भी प्रदान की जाती है। संशोधित आरजीएसए के तहत स्वीकृत कंप्यूटर और सीएससी के सह-स्थापन का वर्षवार विवरण क्रमशः **अनुलग्नक - II** और **अनुलग्नक - III** में दिया गया है। इसके अलावा, इस योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि का विवरण, जिसमें कंप्यूटर और सीएससी सह-स्थापन शामिल हैं, **अनुलग्नक - IV** में दिया गया है।

इसके अलावा, दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 30.06.2025 तक, देश में विभिन्न डिजिटल भारत निधि (पूर्ववर्ती यूएसओएफ) योजनाओं के तहत दूरसंचार/ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु असम के लिए 1170 करोड़ रुपये सहित कुल 90813 करोड़ रुपये वितरित/उपयोग किए गए हैं।

***

अनुलग्नक -I

'असम में पंचायतों के लिए अवसंरचना'के संबंध में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 377, जिसका उत्तर दिनांक 19.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायत स्तर पर XV वित्त आयोग के लिए ई-ग्रामस्वराज को अपनाना

क्र.सं	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या और समकक्ष	शामिल ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों की कुल संख्या और समकक्ष	शामिल ब्लॉक पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों की कुल संख्या और समकक्ष	शामिल जिला पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें
1	आंध्र प्रदेश	13328	13320	13002	660	660	645	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2108	426	0	0	0	27	26	11
3	असम	2662	2197	2183	191	191	191	30	29	27
4	बिहार	8054	8054	8046	534	534	531	38	38	38
5	छत्तीसगढ़	11701	11684	11540	146	146	146	33	33	27
6	गोवा	191	191	97	0	0	0	2	2	2
7	गुजरात	14656	14645	14006	248	248	248	33	33	33
8	हरियाणा	6226	6226	5980	143	143	134	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3615	3557	81	81	81	12	12	12
10	झारखंड	4345	4345	4335	264	264	263	24	24	24
11	कर्नाटक	5954	5954	5942	238	232	127	31	31	29
12	केरल	941	941	941	152	152	152	14	14	14
13	मध्य प्रदेश	23011	23011	22987	313	313	311	52	52	52
14	महाराष्ट्र	27955	27940	27025	351	351	312	34	34	34
15	मणिपुर	3812	161	125	0	0	0	12	6	4
16	मेघालय	6817	0	0	2241	0	0	3	3	0

क्र.सं	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या और समकक्ष	शामिल ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों की कुल संख्या और समकक्ष	शामिल ब्लॉक पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों की कुल संख्या और समकक्ष	शामिल जिला पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें
17	मिजोरम	842	842	832	0	0	0	0	0	0
18	नगालैंड	1289	977	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	6794	6794	6794	314	314	314	30	30	30
20	पंजाब	13237	13234	10240	153	151	123	23	22	19
21	राजस्थान	11222	11219	10905	361	353	351	33	33	33
22	सिक्किम	199	199	195	0	0	0	6	6	6
23	तमिलनाडु	12525	12525	12520	388	388	388	36	36	36
24	तेलंगाना	12991	12768	12648	572	540	514	32	32	32
25	त्रिपुरा	1194	1194	1175	75	75	75	9	9	9
26	उत्तराखंड	7795	7795	7757	95	95	95	13	13	13
27	उत्तर प्रदेश	57691	57691	57638	826	826	819	75	75	75
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3339	345	345	345	22	21	21
कुल		**264494**	**252969**	**244235**	**8691**	**6402**	**6165**	**659**	**649**	**616**

अनुलग्नक -II

'असम में पंचायतों के लिए अवसंरचना' लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 377, जिसका उत्तर दिनांक 19.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

संशोधित आरजीएसए के अंतर्गत स्वीकृत कंप्यूटरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित *
1	आंध्र प्रदेश	1922
2	अरुणाचल प्रदेश	1936
3	असम	2055
4	बिहार	4267
5	छत्तीसगढ़	6496
6	गोवा	0
7	गुजरात	43
8	हरियाणा	1363
9	हिमाचल प्रदेश	334
10	जम्मू और कश्मीर	1318
11	झारखंड	2306
12	कर्नाटक	0
13	केरल	200
14	मध्य प्रदेश	289
15	महाराष्ट्र	1625
16	मणिपुर	141
17	मेघालय	1677
18	मिजोरम	591
19	नगालैंड	739
20	ओडिशा	350
21	पंजाब	8334
22	राजस्थान	1554
23	सिक्किम	235
24	तमिलनाडु	1594
25	तेलंगाना	3452
26	त्रिपुरा	493
27	उत्तर प्रदेश	3145
28	उत्तराखंड	4260
29	पश्चिम बंगाल	1712
30	अंडमान और निकोबार	0
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	4
32	लक्षद्वीप	0

क्र.सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित *
33	लद्दाख	127
34	पुद्दुचेरी	0
	कुल	**52,562**

2022-23 से 2025-26 तक स्वीकृत (31.07.2025 तक)

अनुलग्नक -III

'असम में पंचायतों के लिए अवसंरचना'के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 377, जिसका उत्तर दिनांक 19.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

संशोधित आरजीएसए के अंतर्गत स्वीकृत सीएससी सह-स्थान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत सीएससी
1	आंध्र प्रदेश	917
2	अरुणाचल प्रदेश	939
3	असम	175
4	बिहार	250
5	छत्तीसगढ़	130
6	गोवा	0
7	गुजरात	412
8	हरयाणा	982
9	हिमाचल प्रदेश	1599
10	जम्मू और कश्मीर	1106
11	झारखंड	150
12	कर्नाटक	258
13	केरल	8
14	मध्य प्रदेश	0
15	महाराष्ट्र	756
16	मणिपुर	31
17	मेघालय	92
18	मिजोरम	222
19	नगालैंड	49
20	ओडिशा	0
21	पंजाब	500
22	राजस्थान	177
23	सिक्किम	54
24	तमिलनाडु	460
25	तेलंगाना	241
26	त्रिपुरा	23
27	उत्तर प्रदेश	5612
28	उत्तराखंड	800
29	पश्चिम बंगाल	5
30	अंडमान और निकोबार	0
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0
32	लक्षद्वीप	0
33	लद्दाख	3
34	पुदुचेरी	0
कुल		**15951**

**2022-23 से 2025-26 तक स्वीकृत (31.07.2025 तक)*

अनुलग्नक -IV

'असम में पंचायतों के लिए अवसंरचना'के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 377, जिसका उत्तर दिनांक 19.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

संशोधित आरजीएसए के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केंद्रीय हिस्से का आज तक का विवरण

राशि करोड़ में

क्र.सं	**राज्य का नाम**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	2.52	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	108.69	72.09	70.00	70.00
3	असम	55.29	77.70	60.00	35.00
4	बिहार	33.37	25.00	0.00	25.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	17.57	16.50	10.00
6	गोवा	0.00	0.89	1.35	0.00
7	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	0.00	0.00	5.00	12.50
9	हिमाचल प्रदेश	60.65	19.31	27.21	10.00
10	जम्मू और कश्मीर	40.00	65.00	65.00	25.00
11	झारखंड	0.00	31.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	36.00	20.00	16.25	10.00
13	केरल	30.40	10.00	10.00	10.50
14	मध्य प्रदेश	28.00	32.17	40.00	0.00
15	महाराष्ट्र	37.84	116.12	80.00	37.50
16	मणिपुर	8.63	9.56	0.00	0.00
17	मेघालय	0.00	6.00	8.00	0.00
18	मिजोरम	14.27	10.00	12.00	10.00
19	नगालैंड	0.00	10.00	10.00	0.00
20	ओडिशा	11.40	27.33	20.00	20.00
21	पंजाब	34.25	10.00	5.00	10.00
22	राजस्थान	0.00	21.72	15.00	0.00
23	सिक्किम	6.01	6.00	7.00	0.00
24	तमिलनाडु	25.42	0.00	45.00	0.00
25	तेलंगाना	0.00	20.00	0.00	0.00
26	त्रिपुरा	9.80	7.43	10.00	15.00
27	उत्तर प्रदेश	85.05	84.13	38.77	0.00
28	उत्तराखंड	42.48	64.67	50.00	0.00
29	पश्चिम बंगाल	4.28	33.69	52.68	35.00
	संघ राज्य क्षेत्र				0.00
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.79	2.12	0.00
31	दादरा और नगर हेवेली एवं दमन और दीव	1.14	1.00	1.00	0.00
32	लद्दाख	0.00	1.00	0.00	0.00
	कुल	**672.97**	**800.17**	**670.40**	**335.50**

** केंद्रीय हिस्से के रूप में जारी निधि*